



बदलते परिवेश में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता

प्रस्तुतकर्ता
डॉ महेन्द्र कुमार सिरौही
प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय रहटगाव जिला हरदा म.प्र.

प्रस्तावना

स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीति का इतिहास

नई शिक्षा नीति 2020

नई शिक्षा नीति की विशेषताएं

वैश्विक व्यवस्था और नई शिक्षा नीति

नई शिक्षा नीति की आवश्यकता

निष्कर्ष

प्रस्तावना

वर्तमान में संपूर्ण विश्व में पिछले कुछ वर्षों से संपूर्ण वैश्विक व्यवस्था में भारी परिवर्तन हो रहा है। वैश्विक परिवर्तन के इस दौर को जिन देशों ने या जिन व्यवस्थाओं ने अपने आप को इस परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तित किया है, वह देश या व्यवस्थाएं दुनिया में विकास के हर पहलू को अपने पक्ष में कर रही हैं। परिवर्तन समग्र रूप में होता है सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन। यह तीनों ही पहलू परिवर्तन के संपूर्ण परिवेश को अपने आप में समेटे हुए रहते हैं। समग्र परिवर्तन को जो देश धारण करता है वह विकास के उच्च पायदान पर अपने आप को स्थापित करता है।



वैश्विक परिदृश्य के इस बदलाव में भारत को भी अपने आप को परिवर्तित करना होगा और परिवर्तन का जो आधार है वह है शिक्षा व्यवस्था। पश्चिम या तकनीकी रूप से उन्नत व्यवस्थाओं को हम देखते हैं तो यह पाते हैं तक उन्होंने हमेशा परिवर्तन को स्वीकार किया है और उन्होंने इसकी शुरुआत शिक्षा से की क्योंकि शिक्षा से ही सामाजिक विकास राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास होता है। शिक्षा व्यवस्था में नए परिवर्तन को अपनाने से तकनीकी विकास में सहयोग मिलता है और तकनीकी विकास से ही आर्थिक विकास को गति प्राप्त होती है और आर्थिक विकास से सामाजिक विकास और सामाजिक विकास से राजनीतिक विकास स्थापित होता है।

नई शिक्षा नीति या NEP 2020 का क्रियान्वयन वैश्विक परिवर्तन को ध्यान में रखकर किया गया है। नई शिक्षा नीति में छोटे-छोटे पहलुओं को ध्यान में रखकर इसके आधार को तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 फार्मूले के तहत क्रियान्वयन किया जाना है। यह इसका बेसिक फार्मूला है। उच्च शिक्षा लेवल पर नई शिक्षा नीति में विषयों का आपस में समन्वय इस प्रकार किया गया है, कि साइंस का विद्यार्थी, कला संकाय या कॉमर्स के कोई विषय को ग्रहण कर सकता है। कॉमर्स का विद्यार्थी, साइंस या कला संकाय के किसी विषय को ग्रहण कर सकता है और कला संकाय का कोई विद्यार्थी कॉमर्स या साइंस के किसी विषय को ग्रहण कर सकता है जो उसकी पसंद का है और भविष्य में उसके लिए रोजगार को उपलब्ध करा सकता है।

बदलते परिदृश्य और वैश्विक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वित किया गया है। मध्य प्रदेश भारत का वह दूसरा राज्य है जिसने व्यावहारिक रूप में नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित किया है। किसी भी व्यवस्था को जब नए रूप में क्रियान्वयन किया जाता है, तो उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, तकनीक की कमी, धन की कमी, मानव संसाधन की कमी, इत्यादि। नई शिक्षा नीति बदलते परिवेश और वैश्विक व्यवस्था को ध्यान में रखकर तैयार की गई और इसकी आवश्यकता है।



स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीति का इतिहास

स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास ब्रिटिश काल की व्यवस्थाओं के अनुरूप किया गया लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन सन् 1968 में प्रथम शिक्षा नीति लागू कर किया। इस शिक्षा नीति में यह कहा गया कि हर 5 वर्ष के बाद इस व्यवस्था का रिव्यू किया जाएगा और उचित निर्णय लिए जाएंगे। कोठारी आयोग की अनुशंसा पर प्रथम शिक्षा नीति को क्रियान्वित किया गया। यह मुख्य रूप से 17 बिंदु पर आधारित थी और इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में एक ही शिक्षा व्यवस्था को लागू करना था था। इसके माध्यम से शिक्षा व्यवस्था का गुणवत्तापूर्ण सुधार करना था। इस शिक्षा व्यवस्था में कृषि और उद्योग पर आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया तथा 10 से 14 वर्ष के बालकों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर जोर दिया गया। इस शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र पर जोर दिया गया।

भारतीय संविधान में प्राथमिक स्तर पर निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था वर्तमान तक जारी है। यह व्यवस्था 1986 में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी। इस शिक्षा नीति में संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया गया तथा शिक्षा को मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में प्रदान करने की कोशिश की गई। यह व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के स्तरों में विभाजित थी। समय-समय पर इन स्तरों के पाठ्यक्रमों का नव निर्माण किया जाना था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का गठन श्री कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कुल 12 भागों में विभाजित है तथा यह 10+2+3 प्रणाली पर आधारित है। यह शिक्षा नीति पाठ्यक्रम तथा पाठ चर्चा पर आधारित थी यह शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार , राज्य सरकार एवं जिला व्यवस्थाओं पर थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को वर्ष 1992 संशोधित किया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद NEP 2020 लागू की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 में 1986 से जारी शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। नई शिक्षा नीति में बदलते वैश्विक परिवेश और नई तकनीक इस दौर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।



नई शिक्षा नीति 2020

1986 की शिक्षा नीति के 34 वर्षों के बाद सन् 2020 में नई शिक्षा नीति को लाया गया और मध्य प्रदेश भारत का वह दूसरा राज्य बना जिसने नई शिक्षा नीति को व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित किया है। नई शिक्षा नीति 2020 अंतरिक्ष वैज्ञानिक डा. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सन् 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio - GER) को 100 परसेंट लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें केंद्र एवं राज्य मिलकर शिक्षा क्षेत्र के लिए जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक व्यय के लिए रखा गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं -

स्कूल शिक्षा संबंधी प्रावधान

- नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले मॉडल को स्वीकार किया गया है जो 3 से 18 वर्ष के बालकों को शामिल करता है।
- 5 वर्ष का फाउंडेशनल स्टेज 3 वर्ष की प्रीपे ट्रेरी स्टेज 3 वर्ष का मध्य चरण 4 वर्ष का उच्चरण।
- NEP 2020 के तहत HHRO बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर आधारित एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रावधान है।

भाषाई विविधता का संरक्षण

- नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5 तक का अध्ययन मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराने का सुझाव दिया गया है। कक्षा 8 से आगे अध्ययन के लिए क्षेत्रीय भाषाओं या मातृभाषा में अध्ययन का सुझाव दिया गया है।



- स्कूली और उच्च शिक्षा में अध्ययन के लिए प्राचीन भारतीय भाषाओं में अध्ययन का सुझाव दिया गया है लेकिन भाषा की अनिवार्यता नहीं है।
- शारीरिक शिक्षा - नई शिक्षा नीति में बालकों को शारीरिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है इसके लिए स्थानीय स्तर पर शारीरिक व्यायाम खेलकूद योग नृत्य आदि की व्यवस्था की जाएगी जिससे बालक का संपूर्ण शारीरिक विकास हो सके।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार

- शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति की प्रणाली में पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता संबंधी प्रावधानों को लागू किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा।
- सन् 2030 तक शिक्षकों के अध्यापन के लिए 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम एकीकृत बीएड के साथ होना अनिवार्य होगा।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार

- कला और विज्ञान तथा व्यवसायिक विषयों तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्योत्तर गतिविधियों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा।
- कक्षा 6 से ही व्यवसायिक पाठ्यक्रम तथा इंटरनशिप को शामिल किया जाएगा।
- कक्षा 10 एवं 12 के पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाएगा इनकी परीक्षा प्रणालियों को बदला जाएगा और सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया जाएगा।
- छात्रों के मूल्यांकन के लिए परख नाम से राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी।



उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान

- NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात 26.30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है तथा 3:50 करोड़ सीट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री तथा एग्जिट की व्यवस्था की गई है स्नातक 3 या 4 वर्ष का निर्धारित किया गया है इसमें छात्र किसी भी स्तर पर पढाई छोड़े तो उसे उस स्तर का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष में सर्टिफिकेट 2 वर्ष में डिप्लोमा 3 वर्ष में स्नातक 4 वर्ष में शोध के साथ स्नातक)
- नई शिक्षा नीति में अंक या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा ताकि अलग-अलग शिक्षा संस्थानों में उस आधार पर डिग्री प्रदान की जा सकती है।
- नई शिक्षा नीति में एमफिल डिग्री को समाप्त कि दिया गया है।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग

नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई है (Higher Education Commission of India - HECI) यह परिषद चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा विभाग के लिए कार्य करेगा।

HECI शिक्षा क्षेत्र के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय होंगे

- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक यह परिषद (National higher education regulatory council)
- सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council)
- राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council - NAC)
- उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council)



डिजिटल शिक्षा से संबंधित विशेष प्रावधान की परिकल्पना की गई है जिसमें डिजिटल शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। नई डिजिटल विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

पारंपरिक ज्ञान का वैज्ञानिक तथ्यों के जरिए अध्ययन किया जाएगा। एससी एसटी ओबीसी और अन्य जाति समूह को कमजोर तबके को वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

नई शिक्षा नीति की विशेषताएं

नई शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन वैश्विक शिक्षा व्यवस्था और भारतीय शिक्षा व्यवस्था का समन्वित और संकल्पित रूप है नई शिक्षा नीति में भारतीय परिस्थितियां भारतीय संसाधन भारतीय प्राचीन संस्कृति और अभी तक चली आ रही शिक्षा व्यवस्था को मिलाकर तैयार किया है और शिक्षा नीति से बदलते वैश्विक परिदृश्य और भविष्य के भारत की संभावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। भारतीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं निम्नानुसार हैं

- बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता
- बाल्यावस्था का संरक्षण व सुदृढीकरण
- विद्यार्थियों के ड्रॉपआउट रेट को कम करना और शिक्षा की सुलभता सभी तक सुनिश्चित करना
- 5+3+3+4 का स्कूली पाठ्यक्रम
- प्रतिभाशाली एवं मेधावी विद्यार्थियों को विशिष्ट प्रोत्साहन
- सभी छात्रों को शिक्षा सुनिश्चित करना
- स्कूली छात्रों को स्कूल बैग का वजन कम करना तथा होमवर्क कम करना
- स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारित
- गुणवत्तापूर्ण विद्यालय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय का निर्माण एवं संचालन
- छात्रों को छठी कक्षा से कोडिंग सिखाई जाएगी
- छठी कक्षा से व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं इंटरनेटशिप की व्यवस्था



- संस्थागत समेकन एवं पुनर्गठन
- समग्र एवं बहू विषयक शिक्षा
- अध्यापक शिक्षा
- व्यवसायिक शिक्षा
- उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा
- उच्च गुणवत्तापूर्ण रिसर्च एवं शोध हेतु छात्रवृत्ति
- एमफिल् डिग्री का कोर्स समाप्त
- वर्चुअल लैब स्थापित किए जाएंगे
- इंटरनेट न्यू सॉफ्टवेयर ओपन प्रणाली एवं नई तकनीकों का समन्वय
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में परिवर्तित

वैश्विक व्यवस्था और नई शिक्षा नीति

बदलते वैश्विक परिदृश्य जिसमें भूमंडलीकरण वैश्वीकरण और बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस की गई और 34 वर्षों के बाद डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रावधानों के अनुरूप नई शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वित किया गया।

नई शिक्षा नीति 2020 को इस तरह तैयार किया गया है कि शिक्षा के माध्यम से भारतीय पुरातन ज्ञान भारतीय भाषाओं और संस्कृति का संबंध आधुनिक तकनीक का समन्वय और बदलते विश्व और औद्योगिकरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति को तैयार किया है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि चीन ने विकसित देशों की शिक्षा नीति को अपने देश की भाषा और संस्कृति के अनुरूप तथा आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था का मॉडल तैयार किया और साम्यवादी मॉडल के साथ उसको क्रियान्वित किया और आज चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अर्थव्यवस्था बल्कि तकनीक की दुनिया में भी विश्व का सिरमौर बनने की ओर बढ़ रहा है। भारत कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा व्यवस्था को



आधुनिक परिवेश के अनुरूप परिवर्तित करने में देरी कर गया और इसका परिणाम यह हुआ कि तकनीक और अर्थव्यवस्था की आधुनिक समस्याओं से निपटने में हम पीछे रह गए।

बदलते विश्व में और कमजोर होते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा धार्मिक और जाति के आधार पर विभाजित होती हुई दुनिया में भारत को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आवश्यक था कि धीरे-धीरे वे अपने संपूर्ण सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और शैक्षणिक संस्थागत ढांचे में परिवर्तन करें। किसी भी देश के आधुनिक नव निर्माण के लिए आवश्यक है कि वह अपने पुनः निर्माण की नींव की शुरुआत मजबूती से करें और किसी भी देश की नींव उसकी युवा पीढ़ी और छोटे बच्चे होते हैं। स्वाभाविक रूप से छोटे बालक और युवा पीढ़ी के नव निर्माण की शुरुआत शिक्षा व्यवस्था से ही होती है। आधुनिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से ही भारत बदलते परिवेश में अपनी युवा पीढ़ी को और बर्ती जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करा सकता है और बदलते परिवेश में तकनीक की आवश्यकता समय-समय पर बढ़ रही है। चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो चिकित्सा के क्षेत्र में हो सैन्य क्षेत्र में हो या औद्योगिक क्षेत्र में हो। इन सभी क्षेत्रों में नई शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ही हम इनकी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं।

वर्तमान में भारत को विश्व के साथ कदमताल करने के लिए निम्न क्षेत्रों में नई शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अपने भविष्य की पीढ़ी को मजबूत आधार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है जो भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और एकीकरण के इस बदलते परिदृश्य में अपने आप को उन्नत विश्व के साथ पाए -

- आधुनिक तकनीक
- आधुनिक चिकित्सा प्रणाली
- आधुनिक कृषि
- उन्नत औद्योगिक प्रणाली
- उन्नत सैन्य प्रणाली
- उन्नत परिवहन प्रणाली
- उन्नत व्यापारिक प्रणाली



बदलती वैश्विक व्यवस्था में दुनिया , बहुधुवीय होने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की गुटों में बंटी हुई है। नई तकनीक नई व्यापार प्रणाली नई सैन्य प्रणाली और उन्नत व्यापारिक प्रणाली का आदान-प्रदान एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं और कर भी रहे हैं तो बहुत ऊंचे दामों पर जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए उनको प्राप्त करना असंभव हो गया है। नई शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता उपरोक्त क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है और भविष्य के भारत के निर्माण के लिए भी आवश्यक है।

नई शिक्षा नीति की आवश्यकता

इंदिरा सरकार द्वारा स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति सन् 1968 में लागू की गई थी। इसके बाद राजीव सरकार द्वारा सन् 1986 में दूसरी शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया गया था और इसमें संशोधन सन् 1992 में किया गया था। इसके बाद पूरी दुनिया में शिक्षा प्रणालियों में आमूलचूल परिवर्तन हुए लेकिन भारत ने इस बदलते परिदृश्य को शिक्षा प्रणालियों में समाहित नहीं किया और इसका नुकसान भारत को सभी क्षेत्रों में उठाना पड़ा। पश्चिम चीन, जापान , दक्षिण कोरिया या अन्य कोई विकसित देश हो सभी ने अपनी शिक्षा प्रणालियों में समय के साथ साथ परिवर्तन किया है और उसका लाभ उन्हें आज मिल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 का 34 वर्षों के बाद बदलते वैश्विक परिदृश्य और भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप इस शिक्षा प्रणाली में समग्र चुनौतियाँ और व्यापक सोच को मिलाकर इस शिक्षा नीति को बनाया है और इसका क्रियान्वयन किया गया है। मध्यप्रदेश भारत का वह दूसरा राज्य है, जिसमें इस शिक्षा नीति को व्यावहारिक रूप से लागू किया है। अब सवाल यह है की नई शिक्षा नीति की आवश्यकता भारत को क्यों है।



भारत को नई शिक्षा नीति की आवश्यकता समझने के लिए हम निम्न पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है -

- देश के समग्र विकास के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है।
- उन्नत तकनीक को प्राप्त करने और उन्नत तकनीक को विकसित करने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है।
- उन्नत सैन्य संसाधनों के विकास के लिए
- उन्नत औद्योगिक विकास के लिए
- उन्नत कृषि विकास के लिए
- उन्नत चिकित्सा विकास के लिए
- उन्नत सामाजिक राजनीतिक विकास के लिए
- उन्नत आर्थिक विकास के लिए
- बर्दी हुई आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए
- बर्दी हुई आबादी की आवश्यकता कुबूल करने के लिए
- भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल करने के लिए
- प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुदृढ करना
- शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना
- व्यवसायिक और पूर्व शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना
- अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अनुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली को तैयार करना
- अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना
- विकसित देशों के समकक्ष भारत को प्यार करने के लिए

निष्कर्ष

वर्तमान समय प्रतियोगिता का है और यह प्रतियोगिता दुनिया के देशों की आपस में है और यह प्रतियोगिता का दौर भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया के कारण अस्तित्व में खुले रूप में आया है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत अपने आपको दुनिया की प्रतिद्वंद्विता में आगे रखने के लिए संघर्ष कर रहा है और यह संघर्ष का मूल आधार शिक्षा व्यवस्था से चालू होता है और शिक्षा व्यवस्था पर ही खत्म होता है क्योंकि किसी भी देश



को आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में अपने आप को आगे रखना है तो उसे शिक्षा व्यवस्था को बदलते परिवेश में समय-समय पर परिवर्तित करना होगा इस परिवर्तन का लाभ उस देश के विद्यार्थियों को मिलेगा और वह अपने आप को विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में खड़ा रख पाएंगे।

बदलते परिवेश में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता काफी दिनों से महसूस की जा रही थी और सन् 2020 में 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई। नई शिक्षा नीति 2020 में विभिन्न पहलुओं को आपस में मिलाकर बनाई गई है जिसमें बालकों के समग्र विकास व्यवसायिक और इंटरनेट के माध्यम से रोजगार परक और ज्ञानवर्धक तथा उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य प्रत्येक वर्ष के अलग-अलग योग्यता अनुसार डिप्लोमा डिग्री और शोध स्नातक की उपाधि इस नई शिक्षा नीति में समन्वित की गई है। नई शिक्षा नीति में ओपन विश्वविद्यालय, ऑनलाइन शिक्षा, इ लैब, ई लाइब्रेरी, ऑनलाइन सेमिनार , वेबीनार, मेधावी छात्रवृत्ति योजनाएं और बहुत से तत्वों को इसमें शामिल किया गया है जो कि बदलते वैश्विक शिक्षा प्रणाली के साथ कदमताल करने के लिए आवश्यक थी।

बदलते परिवेश में नई शिक्षा नीति की इसलिए आवश्यक है कि भारत की बढ़ती आबादी घटते रोजगार भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण से उपजी परिस्थितियाँ ग्रामीण विद्यार्थियों और कमजोर तबके के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की पहुंच को सुलभ बनाना व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का व्यावहारिक रूप में क्रियान्वयन विभिन्न संकाय के विद्यार्थियों का पसंद के अनुसार विषयों का रूपांतरण यह आधुनिक दौर की शिक्षा व्यवस्था में आवश्यकता है तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अनुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने की भी आवश्यकता थी। इसलिए नई शिक्षा प्रणाली बदलते परिवेश के अनुसार लाने की आवश्यकता थी। कंप्यूटर और इंटरनेट के इस दौर में शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

निष्कर्ष रूप में बदलते दौर के अनुसार बदलती वैश्विक व्यवस्था के अनुसार बदलते सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं के अनुसार शिक्षा व्यवस्था को बदलना नितांत आवश्यक था इसलिए बहुप्रशिक्षित नई शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता थी और शासन ने शिक्षाविदों के माध्यम से जो नई शिक्षा नीति क्रियान्वित की है, उसकी काफी समय से आवश्यकता थी। ताकि भारतीय विद्यार्थी बदलते दौर के साथ कदमताल कर सकें। कोई भी व्यवस्था जब नए रूप में क्रियान्वित की जाती है तो उसमें बहुत सारी कमियां भी सामने आती हैं। लेकिन



इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई व्यवस्था लागू ही नहीं करें। नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में भी काफी समस्या आ रही है और आगे भी सामने आएगी लेकिन उनका हल भी शिक्षाविदों के द्वारा निकाला जा रहा है और निकाला जाएगा क्योंकि कार्ल मार्क्स का यह कथन - कथन पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि “वाद प्रतिवाद और संवाद “ मनुष्य के विकास में और विश्व के नवनिर्माण में हमेशा चलते रहे हैं क्योंकि जहां वाद है उसका प्रतिवाद खड़ा होता है और प्रतिवाद से संवाद निकलता है और कुछ दिनों के बाद उस संवाद के विरुद्ध फिर वाद आता है फिर प्रतिवाद और फिर संवाद , यह प्रक्रिया वर्षों से जारी है और आगे भी निरंतर चलती रहेगी।

संदर्भ

- s गूगल सर्च - नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित विभिन्न वेबसाइट से प्राप्त जानकारियाँ
- s नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित भारत सरकार के नोटिफिकेशन
- s मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल एवं विभिन्न आदेश
- s समाचार पत्र पत्रिकाएं

प्रस्तुतकर्ता

डॉ महेन्द्र कुमार सिरोही

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय रहटगाव जिला हरदा म.प्र.